न्यायालय जिला कलक्टर खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या	रजि० नं0 2023 /	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11 / 54 / 2025	2025 / 192	26.03.2025	09.07.2025

1– जावेद पुत्र अकबर,
2– नसरूदीन पुत्र अतरू,
3– साबिर पुत्र अकबर,
4– सफी मौहम्मद पुत्र नुरू (पोत्र अतरू) जातियान मेव निवासीयान ग्राम सांथलका तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

अपीलान्ट

बनाम

1–सरकार जये तहसीलदार किशनगढबास तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

रेस्पॉडेन्ट

अपील विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार किशनगढबास निर्णय दिनाक 23.02.2025 नामान्तकरण संख्या 1110 वाके ग्राम कांकरा तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा। (राजस्थान)

उपस्थित–
01. श्री शेरसिंह –वकील अपीलान्ट

–:निर्णयः–

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार किशनगढबास के नामान्तकरण संख्या 1110 निर्णय दिनाक 23.02.2025 वाके ग्राम कांकरा तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा। से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जर्ये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलान्टान ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया है, कि तहत अदालत द्वारा रिलीज डीड के आधार पर नामान्तकरण संख्या 1110 वाके ग्राम कांकरा अस्वीकार किया गया है, वह दस्तावेज स्वंय तहसीलदार किशनगढबास द्वारा ही दस्तावेजो का अवलोकन करने के बाद सन्तुष्ट होकर पंजिबद्व किया गया था। और पटवारी हल्का द्वारा नामान्तकरण सही तौर पर दर्ज किया था। मुताबिक जमाबंदी अपीलान्ट सफी मौहम्मद दोहिता अतरू अंकित है, अपीलान्ट के पिता का स्वर्गवास होने के बाद ही उसका नाम दोहिता अर्थात पोत्र दर्ज किया गया था, जो दर्ज जमाबंदी है। जो सही है। चूकि जमाबंदी में दोहिता अंकित था इस लिए रिलीज डीड में भी दोहिता ही दर्ज किया गया था। तहत अदालत के द्वारा आलोच्य आदेश में यह फरमाया गया है, कि दोहिता पूरा नाम मेल नही खाता है, इस लिए नामान्तकरण खारिज करने में अहम गलती की गयी है। जबकि दर्ज जमाबंदी दोहिता के आधार पर ही दस्तावेज पंजीबद्व हुआ था। यदि अंकन सही नही होता तो दस्तावेज क्यो पंजीबद्व किया गया। तहत अदालत द्वारा आलोच्य आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को कोई सूचना नही दी गयी। न ही सुनवाई का कोई अवसर दिया गया है। अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 23.02.2025 नामान्तकरण संख्या 1110 वाके ग्राम कांकरा तहसील किशनगढबास निरस्त किया जावे।

जिला कलक्टर
जिला खैरथल-तिजारा (राज०)

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया एंव वकील अपीलान्ट की वहस पर मनन किया। अपीलान्ट ने मुख्य कथन किया है, कि तहत अदालत द्वारा रिलीज डीड के आधार पर नामान्तकरण संख्या 1110 वाके ग्राम कांकरा अस्वीकार किया गया है, वह दस्तावेज स्वंय तहसीलदार किशनगढबास द्वारा ही दस्तावेजो का अवलोकन करने के बाद सन्तुष्ट होकर पंजिवद्व किया गया था। मुताबिक जमाबंदी अपीलान्ट सफी मौहम्मद दोहिता अतरू अंकित है, अपीलान्ट के पिता का स्वर्गवास होने के बाद ही उसका नाम दोहिता अर्थात पोत्र दर्ज किया गया था, जो दर्ज जमाबंदी है। जो सही है। चूकि जमाबंदी में दोहिता अंकित था। इस लिए रिलीज डीड में भी दोहिता ही दर्ज किया गया था। तहत अदालत के द्वारा आलोच्य आदेश में यह फरमाया गया है, कि दोहिता पूरा नाम मेल नही खाता है, इस लिए नामान्तकरण खारिज गया है। तहत अदालत के रिकार्ड का अवलोकन किया गया। तहत अदालत द्वारा नामान्तकरण संख्या नामान्तकरण संख्या 1110 वाके ग्राम कांकरा में प्रस्तुत दस्तावेजो में दोहिता पूरा नाम मेल नही खाने के कारण खारिज किया गया है, शफी मौहम्मद अपीलान्ट संख्या 4 का नाम आधार कार्ड में शफी मौहम्मद पुत्र नूर मौहम्मद अंकित है, जबकि जमाबन्दी संम्वत 2076–2079 में सफीमौहम्मद दोहित्रा अतरू अंकित है तथा रीलीज डिड में सफीमौहम्मद पुत्र नुरू (दोहित्रा यानि पोत्र अतरू अकित है। इस से स्पष्ट है, कि शफी मौहम्मद अपीलान्ट संख्या 4 के नाम में भिन्नता है। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय न्यायोचित है। अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। तहत अदालत तहसीलदार किशनगढबास द्वारा पारित निर्णय दिनांक दिनाक 23.02.2025 नामान्तकरण संख्या 1110 ग्राम कांकरा तहसील किशनगढबास यथावत रखा जाता है। पारित निर्णय की प्रमाणित–प्रति तहत अदालत को तहत रिकार्ड के साथ वापिस भिजवायी जावे। पत्रावली फैशल शुमार को नमबर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल जमा रिकार्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 09.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(किशोर कुमार)
जिला कलक्टर एंव जिला
मजिस्ट्रेट खैरथल–तिजारा
(राजस्थान)